

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

संख्या-प0नि0 30-153/2021 2148
प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
पं0 चम्पारण



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पटना, दिनांक- 24.4.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।
प्रसंग:- आपका पत्रांक-95/पं0, दिनांक-15.04.2021
महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	बैरिया	0	1	1	आयोग से अनुमोदित 93(क) सामुदायिक भवन अहीर टोला धुरन यादव के घर के दरवाँ भागा को सहायक मतदान केन्द्र के रूप में अनुमोदित की गयी थी परन्तु म0के0सं0-93(क) सामुदायिक भवन, अहीर टोला के सामने खाता सं०-07, खेसरा-3615 में चलंत मतदान केन्द्र का संशोधन कर अनुमोदित की जाती है।
कुल		0	1	1	

2 मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन

सचिव।

ज्ञापांक- 2148 /-

पटना, दिनांक- 24.4.21

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करे।

सचिव 10/4/2021